सुब्रता रॉय सहारा

बनाम

प्रमोद कुमार सैनी और ओआरएस। (2022 की आपराधिक अपील संख्या 955-956)

/

14 जुलाई, 2022

[ए. एम. खानविलकर और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:धारा 438-अग्रिम जमानत-के दायरे के अंतर्गत आवेदन-आयोजित:संबंधित आवेदक के कारण तक सीमित है, उसके खिलाफ पहले से दर्ज अपराध के संबंध में अग्रिम जमानत देने के लिए आवेदन करना और ऐसे मामले के संबंध में उसकी गिरफ्तारी की आशंका-जांच संबंधित तथ्यों तक सीमित होनी चाहिए और संबंधित आवेदक के लिए लागू होनी चाहिए जो अदालत के समक्ष आया है-शिकायत/प्राथमिकी के दायरे से बहुत कम किसी तीसरे पक्ष से संबंधित मामलों में जांच करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए-उच्च न्यायालय को आवेदन पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक मामलों के संबंध में ही सावधानी बरतनी चाहिए और अदालत के समक्ष आवेदक से असंबंधित अति-राज्य तथ्यों या अन्य मामलों के संबंध में नहीं-तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत के लिए आवेदन को लंबित रखते हुए पारित आदेश और तीसरे पक्ष को पेश होने के लिए नोटिस जारी करना चाहिए।438 – इस प्रकार, यह यू/एस की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के लिए खुला नहीं था।438 कार्यवाही में तीसरे पक्ष को जोड़ना, जो न तो आवश्यक हैं और न ही आवेदन के लिए उचित पक्ष हैं।

/

/

/

/

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की आपराधिक अपील संख्या 955-956।

2021 की आपराधिक विविध संख्या 8063 में पटना में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 11.02.2022 और 27.04.2022 से।

/

कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता।, गौतम अवस्थी, आयुष चौधरी, निजाम पाशा, गौतम तालुकदार, देवांशु यादव, समीर पांडे, राहुल त्रिपाठी, राम साजन यादव, विजय कुमार, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

122 ए.

123

सुब्रता रॉय सहारा बनाम प्रमोद कुमार सैनी और ओआरएस।

के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता, मनीष कुमार, नीतेश भंडारी, प्रभात कुमार राय, शौरजीत चक्रवर्ती, सुश्री अपराजित भारद्वाज, नवीन कुमार, रमेश बाबू एम. आर., सुश्री मनीषा सिंह, सुश्री निशा शर्मा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

/

आदेश

1. अनुमति दी गई।

2. ये अपीलें सी. आर. एल. एम. सं. 8063/2021 में पटना में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 11.02.2022 और 27.04.2022 दिनांकित निर्णय और आदेशों को अपवाद मानती हैं।

/

3. इन आदेशों द्वारा, उच्च न्यायालय ने 2016 के शिकायत मामला संख्या 1761 में नामित प्रमोद कुमार सैनी और अन्य सह-अभियुक्त द्वारा दायर अग्रिम जमानत देने के आवेदन पर विचार करते हुए अग्रिम जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक तथ्यों से असंबंधित मामलों की जांच की।

/

4. इस न्यायालय ने 13.05.2022 दिनांकित आदेश के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए इस प्रकार टिप्पणी कीः-

“विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति दी जाती है।यह आग्रह किया जाता है कि नरेश कुमार दास द्वारा दायर की गई निजी शिकायत, शिकायत मामला No.1761/2016 होने के कारण, उसमें नामित अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ है।याचिकाकर्ता को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है।

/

इसके अलावा, प्रमोद कुमार सैनी द्वारा दायर अग्रिम जमानत के आवेदन पर याचिकाकर्ता के खिलाफ आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जिसे आरोपी नं.4.

/

सूचना जारी करें, जो 19.05.2022 पर वापस की जा सकती है।दस्ती की भी अनुमति है।

याचिकाकर्ता के आक्षेपित निर्णय और आदेश के संचालन पर रोक।

/

हमें सूचित किया जाता है कि आक्षेपित आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय ने आज आगे के आदेश जारी किए हैं, अर्थात 13.05.2022, जिसका प्रभाव पटना (पुलिस) में संबंधित प्राधिकारी को याचिकाकर्ता को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश देने का है।

/

124

/

[2022] 7 एस सी आर।

/

इस आदेश के संदर्भ में, हम उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को दिए गए निर्देश के प्रवर्तन पर सुनवाई की अगली तारीख 2 तक रोक लगाते हैं।

सभी संबंधित इस मामले की अगली सुनवाई तक इस आदेश पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। "

/

5. यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत आवेदन संबंधित आवेदक के कारण तक सीमित है, जो उसके खिलाफ पहले से दर्ज अपराध के संबंध में अग्रिम जमानत देने के लिए आवेदन करता है और बाहरी कारणों से या अन्यथा ऐसे मामले के संबंध में उसकी गिरफ्तारी की आशंका रखता है।ऐसी कार्यवाहियों में, जांच न्यायालय के समक्ष आने वाले संबंधित आवेदक के लिए प्रासंगिक और लागू तथ्यों तक सीमित होनी चाहिए।शिकायत/एफ. आई. आर. के दायरे से परे किसी तीसरे पक्ष से संबंधित

मामलों की जांच प्रश्न ने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।6. भले ही आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाता है, उच्च न्यायालय को आवेदन पर विचार करने में केवल उन मामलों के संबंध में सावधानी बरतनी चाहिए जो आवेदन पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक हैं और न कि अदालत के समक्ष आवेदक से असंबंधित तथ्यों या अन्य मामलों के बारे में।

/

/

7. वर्तमान मामले में, हमने देखा है कि उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने के लिए आवेदन को लंबित रखा और न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए तीसरे पक्ष को नोटिस जारी करने सहित निर्देश जारी किए।हमारी राय में यह अस्वीकार्य है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

/

8. उच्च न्यायालय ने इस संबंध में स्पष्ट रूप से अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है।

9. तदनुसार, उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदक के मामले से असंबंधित मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा की गई सभी टिप्पणियों या टिप्पणियों को विधि ी रूप से रिकॉर्ड से हटा दिया जाना चाहिए।इसे तीसरे पक्ष के खिलाफ कुछ अन्य कार्यवाही में नहीं देखा जा सकता है या उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

/

10. राज्य के विद्वान वकील ने हमें यह समझाने के लिए कड़ी मेहनत की कि चूंकि उच्च न्यायालय मामले पर व्यापक दृष्टिकोण ले रहा है और कुछ पहलुओं की जांच करना चाहता है, इसलिए उच्च न्यायालय ऐसा करने के लिए तैयार है।

/

11. हम इस निवेदन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं।

12. यदि ऐसी याचिका स्वीकार की जाती है, तो सत्र न्यायालय /उच्च न्यायालय को आवेदन ए के दायरे से परे जाने की अनुमति देने का खतरा है।

/

धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत और न्यायालय द्वारा तय किए जाने वाले प्रासंगिक मामले।

13. हम मानते हैं कि धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय कार्यवाही में तीसरे पक्ष को जोड़ने के लिए खुला नहीं है, जैसे कि यह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत शक्तियों का आह्वान कर रहा है, उन पक्षों को बहुत कम जो न तो आवश्यक हैं और न ही विचाराधीन आवेदन के लिए उचित पक्ष हैं।

/

14. तदनुसार, हम आक्षेपित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर देते हैं।हालाँकि, हम स्पष्ट करते हैं कि हम उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदक से असंबंधित मामलों के संबंध में आक्षेपित निर्णय और आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों की शुद्धता पर किसी भी तरह से कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं।राज्य ऐसे उपचार का सहारा लेने के लिए निशुल्क है जो बताए गए मामलों के संबंध में विधि में अनुज्ञेय हो।15. अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

/

16. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

/

निधि जैन

अपीलों का निपटारा किया गया।

/

/

/

/